

deputed for training in Hindi in batches. Officials are also sent in batches for training in Hindi shorthand/typewriting.

(4) C.E. forms and registers were sent for translation and printing. Proofs of these forms have been received back.

(5) A Hindi Cell is functioning in the Central Office under an Executive Engineer, who looks after the Hindi Work in addition to his own duties. One Clerk knowing Hindi typing and a Stenographer knowing Hindi Shorthand are working in this Cell.]

भूमि सुधार की प्रगति

७२१. श्री बिसलकुमार मन्नालालजी चौरडिया : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में भूमि सुधार की प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिये गृह-कार्य मन्त्री की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी, उसने अब तक क्या-क्या सुझाव दिये हैं ; और

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित सुझावों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

t [PROGRESS OF LAND REFORMS

721. SHRI V. M. CHORDIA: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) what suggestions have so far been given by the Committee constituted under the Chairmanship of the Minister of Home Affairs for reviewing the progress of the land reforms in the States; and

(b) what action has been taken on the suggestions referred to in part (a) above?]

योजना मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) :

(क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

† [] English translation.

विवरण

कृषि उत्पादन पर भूमि सुधार का गहरा प्रभाव होने के कारण, राष्ट्रीय विकास परिषद् की भूमि सुधार समिति ने अपनी दिनांक २५ जून, १९६४ को सम्पन्न बैठक में सुझाव दिया कि भूमि सुधार कार्यक्रम को यथासम्भव शीघ्रता से पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें, ताकि कृषक को काश्त की सुरक्षा एवं कृषि उत्पादन में लगाई गई पूंजी का पूरा पूरा लाभ प्राप्त होने की सुनिश्चितता हो जाय। अतः इस बात पर बल दिया गया कि बटाई पर बेती करने की पद्धति समाप्त करदी जाय और लगान को नकद लगान के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय, जिससे काश्त करने वाले किसान को इस बात का विश्वास हो जाय कि राज्य के पूंजी विनिर्माण और अपने प्रयत्नों के फलस्वरूप बड़े उत्पादन का उसे भरपूर लाभ मिलेगा। इस सम्बन्ध में समिति ने निम्न सुझाव दिये हैं :—

(१) प्रत्येक राज्य में एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए और आवश्यकतानुसार उसकी सहायता के लिए अन्य कर्मचारी नियुक्त किये जाने चाहिए ताकि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम निश्चित अवधि में समाप्त हो सके।

(२) प्रत्येक राज्य में एक उच्च स्तरीय समिति होनी चाहिए जो समय समय पर यानी प्रत्येक छह महीने के बाद कार्यान्वयन में हुई प्रगति की जांच करे ताकि इस कार्य में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए समय पर कार्रवाई की जा सके।

- (३) प्रत्येक राज्य से निवेदन किया जाय कि वह हर छः महीने के बाद भूमि सुधार तरीकों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की रिपोर्ट भेजे।
- (४) यह सुनिश्चित होना चाहिए कि काश्तकारों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, ताकि वे उत्पादन कार्यक्रम में पूरी तरह भाग ले सकें।
- (५) बहुत से काश्तकार अलिखित पट्टों पर भूमि की काश्त कर रहे थे। अतः वे अक्सर भूमि पर अपना अधिकार नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि अपना कब्जा साबित करने के लिए उनके पास सबूत नहीं था। अतः यह वांछनीय है कि जहां इस समय पट्टों के रिकार्ड तैयार नहीं किये जा रहे हैं वहां उन्हें तैयार करने के लिए जल्दी कदम उठाये जायें और जहां कमियों को दूर करने में इससे बाधा पड़ती है वहां इसमें संशोधन किया जाय।
- (६) बैठक में इस बात का उल्लेख किया गया था कि बहुत बड़े क्षेत्रों में अनौपचारिक पट्टों के माध्यम से काश्त हो रही थी जिसे निजी काश्त के अन्तर्गत माना जा रहा था। वास्तविक काश्तकार इस स्थिति में नहीं थे कि कृषि-उत्पादन को प्रभावित करने वाली उन्नत पद्धतियों के लाभ

को प्राप्त कर सकें। अतः कुशल प्रबंध और काश्त के लिए कुछ नियम निर्धारित करना तथा निजी काश्त के अन्तर्गत आई हुई भूमि के सम्बन्ध में भूस्वामियों द्वारा इन नियमों का पालन कराना आवश्यक होगा। जहां इन नियमों का पालन न हो वहां राज्यों को यह अधिकार होना चाहिए कि इस प्रकार की भूमि का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लें। यह भी निश्चय किया गया था कि अनुभव प्राप्त करने के लिए इस सुझाव पर कुछ चुनौदा गहन कृषि जिल्ला कार्यक्रम या गहन कृषि कार्यक्रम क्षेत्रों में प्रयोग किया जाए और एक तकनीकी समिति इस प्रश्न पर विस्तार से जांच करे।

कार्यान्वयन समिति की सिफारिशें सभी राज्य सरकारों के पास विचारार्थ और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई थीं। जहां तक पट्टों के ठीक ठीक रिकार्ड तैयार करने का सम्बन्ध है, इस बारे में जो स्कीमों राज्य योजनाओं में शामिल की गई हैं उन्हें उन स्कीमों का आधा व्यय केन्द्रीय सहायता के रूप में मिल सकता है। इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करने के प्रश्न पर भारत सरकार विशेष रूप से विचार कर रही है।

कुशल प्रबंध व काश्त के सम्बन्ध में नियमों को निर्धारित करने के प्रश्न की जांच खाद्य व कृषि मंत्रालय द्वारा स्थापित तकनीकी समिति ने की है। तकनीकी समिति की रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों को भेज दी गई है।

[THE MINISTER OF PLANNING (SHRI B. R. BHAGAT): (a) and (b) A statement is placed on the Table of the House.

STATEMENT

The Land Reforms Implementation Committee of the National Development Council at its meeting held on June 25, 1964 suggested that in view of the intimate bearing of the land reform programmes on agricultural production, it was necessary that early steps should be taken to complete the land reform programme as speedily as possible and that the tiller is ensured security of tenure and enabled to reap fully the benefit of the investment made by him in agricultural production. It was emphasised that the share-cropping should be abolished and rents converted into cash rents so that the tenant-cultivator is assured the full benefit of increased production as a result of his efforts and the State Government. In this connection, the Committee made the following suggestions: —

- (1) Each State should appoint a special officer assisted by such staff as may be necessary to implement the programme according to a fixed schedule to be drawn up by the State Government.
- (2) There should also be a high level committee in each State which should review the progress of implementation periodically say, every six months so that timely steps are taken to fill the gaps that may come to notice.
- (3) The States should be requested to report to the Government of India every six months the progress made in the implementation of land reform measures.
- (4) It should be ensured that the tenant-cultivators are provided

ed necessary financial assistance to enable them to participate fully in the production programme.

- (5) As a large number of tenants were cultivating land on oral leases, they were frequently not able to assert their rights as they could not prove their possession. It is desirable that early steps should be taken to prepare record of tenancies where this is not being done at present and to revise it where it obtains to remove the deficiencies.
- (6) It was pointed out at the meeting that quite a sizeable area which was being claimed under personal cultivation was in practice cultivated through informal tenancies and the actual cultivators were not in a position to avail of the package of improved practices affecting agricultural production. It would be necessary to lay down norms of efficient management and cultivation which the landowners should be required to observe in respect of lands claimed under personal cultivation; where the norms were not fulfilled the States should have the right to take over management of such lands. The suggestion should be tried out in a few selected IADP or ICP areas with a view to gaining experience. A technical committee should examine the entire question in detail.

The recommendations of the Implementation Committee were communicated to all State Governments for their consideration and necessary action. As regards the preparation and correction of record of tenancies, such schemes included in the State Plans are entitled to central assistance on 50:50 basis. The question of making additional assistance available for

the purpose is under the active consideration of the Government of India.

Question relating to the prescription of norms of efficient management and cultivation have been examined by a Technical Committee set up by the Ministry of Food and Agriculture. The report of the Technical Committee has been forwarded to all State Governments.]

**दिल्ली में चिट फंड की कम्पनियों के
विरुद्ध शिकायतें**

७२२. श्री विमलकुमार मन्नालालजी
चौरड़िया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की
कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी से ३१ अगस्त, १९६४
तक की अवधि में दिल्ली में चिट फंड की
कम्पनियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त
हुई ;

(ख) शिकायतें सामान्यतः किस प्रकार
की थी ;

(ग) उन शिकायतों के सम्बन्ध में क्या
कार्यवाही की गई है ; और

(घ) भविष्य में ऐसी शिकायतें न हो
इसके लिये क्या कोई योजना सरकार के
विचाराधीन है ?

**+ [COMPLAINTS AGAINST CHIT FUND
COMPANIES IN DELHI**

722. SHRI V. M. CHORDIA: Will the
Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of complaints received
against the Chit Fund Companies in Delhi
during the period from 1st January to 31st
August, 1964;

(b) the general nature of the complaints;

(c) the action taken on those complaints;
and

f [] English translation.

(d) whether there is any scheme under
consideration of Government to avoid the
recurrence of such complaints in future?]

वित्त मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी):

(क) २२७।

(ख) शिकायतें, चिट-राशि (चिट मनी)
की अदायगी न करने, धन के दुरुपयोग,
धोखादेही, और नीलामी व खातों सम्बन्धी
अनियमितताओं के बारे में था

(ग) २२७ शिकायतों में से, २६
शिकायतें चिट फंड्स निदेशालय से और ३१
शिकायतें कम्पनियों के रजिस्ट्रार से की
गई थीं, लेकिन इनके बारे में कोई कार्रवाई
नहीं की जा सकी, क्योंकि इन शिकायतों का
सम्बन्ध या तो उस अवधि से था, जब कि
मद्रास चिट फंड अधिनियम, १९६१ दिल्ली
में लागू नहीं किया गया था या फिर इनमें
कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन
का हवाला नहीं था। पुलिस अधिकायियों
के पास की गयी १७० शिकायतों में से
४८ शिकायतों को जांच के बाद फाइल कर
दिया गया, क्योंकि उनसे यह पता नहीं लगा
कि कोई ऐसा अपराध किया गया है जिसके
लिए कार्रवाई की जा सकती है। १२
शिकायतों की जांच के परिणामस्वरूप अप-
राधपूर्ण विश्वासघात या जालसाजी के
मामले दर्ज किये गये हैं और २२ व्यक्तियों
को गिरफ्तार किया गया है जिनमें से ८
पर मुकदमा भी चला दिया गया है। अप-
राधपूर्ण विश्वासघात या जालसाजी के
मामलों की और ऐसी शिकायतों की, जिन्हें
अभी फाइल नहीं किया गया, छानबीन
की जा रही है।

(घ) मद्रास चिट फंड अधिनियम,
१९६१ को, उपयुक्त संशोधनों के साथ,
१५ जुलाई, १९६४ से दिल्ली के सघीय राज्य
क्षेत्र में लागू कर दिया गया है।